न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 67/2020
3. उनवान :सरकार जरिये सविता शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   श्री कैलाश चन्द गुप्ता, उचित मूल्य दुकान संख्या 345, रैगरों का मोहल्ला, झोटवाडा, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक सविता शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.02.2011 को उचित मूल्य दुकान संख्या 345, रैगरों का मौहल्ला, झोटवाडा, जयपुर पर कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी कैलाश चन्द गुप्ता से 1050 किलोग्राम गेहूँ, 84 किलोग्राम एपीएल चावल व 15 लीटर केरोसीन जब्त किये गये। उक्त वस्तुएं बीपीएल व अन्त्योदय योजना के तहत उपभोक्ताओं को दिये जाने थे, किन्तु इसका अवैध भण्डारण किया जा रहा था। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में सामान देकर उक्त के भण्डारण के संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 17.01.2012 को अधिवक्ता श्री के.डी. शर्मा ने अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रकरण दिनांक 28.01.2014 को बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही बहस के रूप में स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, फर्द जब्ती, मौका पर्चा, बहस एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 19.02.2011 को जब्त 1050 किलोग्राम गेहूँ, 84 किलोग्राम एपीएल चावल व 15 लीटर केरोसीन का अप्रार्थी द्वारा बीपीएल व अन्त्योदय योजना के तहत प्राप्त सामग्री में से उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में सामग्री देकर अवैध तरीके से भण्डारण किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फ़र्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 1050 किलोग्राम गेहूँ, 84 किलोग्राम एपीएल चावल व 15 लीटर केरोसीन को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।